समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर,केंप सागर

झन्डू पिता दमरू रावत(आदिवासी)
निवासी ग्राम तजपुरा तह0बीना
जिला–सागर(म0प्र0) ....आवेदक

//बनाम//

म0प्र0शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र0क्र0 350/अ–21/2013–14 में पारित आदेश दिनाँक 20.05.2015 से परिवेदित होकर यह गिनरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता हैः–

//प्रकरण के तथ्य//

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर सागर के समक्ष एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम तजपुरा स्थित उसके भूमिस्वामित्व की भूमि ख0नं0 145/2 रकवा 1.31हे0 भूमि जो कि 45–50 वर्ष पूर्व शासन से प्राप्त पट्टे की भूमि है, अपनी पत्नि के ईलाज हेतु कुल भूमि में से 0.40हे0 भूमि का विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। उक्त आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण तहसीलदार के समक्ष जाँच कर प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया था जिस पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदक का समक्ष में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पटवारी प्रतिवेदन सहित अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी माध्यम से कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया था जिस पर कलेक्टर महोदय ने आवेदक का आवेदन निरस्त किये जाने का विवादित आदेश दिनाँक 16.06.2013 पारित कर दिया जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा अपील अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष प्रस्तुत की जिन्होंने अन्य आधार लेकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का विवादित आदेश दिनाँक 20.05.2015 पारित

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 2553-पी/16 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.7.16	1— आवेदक की ओर से अधिवक्ता दिलीप गोस्वामी अनावेदक शासन की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्षों को सुना गया। यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त सागर के प्र0क्र0 350/अ—21/2013—14 में पारित आदेश दिनॉक 20.05.2015 के विरूद्ध म0प्र0भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत् प्रस्तुत की गयी है। निगरानी के साथ विलंब माफ किये जाने के लिए म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन शपथ—पत्र सहित प्रस्तुत किया है। 2— आवेदक के विलंब माफ किए जाने के तर्कों पर विचार कर प्रस्तुत न्याय दृष्टांत एम.पी.एल.जे. 2015 भाग 4 सुप्रीम कोर्ट कार्यपालन अधिकारी अंतीपुर नगर पंचायत विरूद्ध जी. आरूमुगम न्याय दृष्टांत के परिपेक्ष्य में निगरानी में हुए विलंब को माफ किया जाता है। 3— आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक के भूमि स्वामी हक की भूमि स्थित ग्राम तजपुरा तह0 बीना खसरा क्रमांक 145/2 रकवा 1.31 हे0 जो कि शासन से लगभग 40—45 वर्ष पूर्व पट्टे पर प्रदान की गयी थी, में से 0.40 हे0 भूमि अपनी पत्नि के ईलाज हेतु विक्रय की अनुमति बावत् आवेदन पत्र मय शपथ—पत्र व दस्तावेजों सहित कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसे बिना किसी युक्तियुक्त आधार के निरस्त किया है, एवं जिसकी पुष्टि न्यायालय अपर आयुक्त सागर द्वारा दिनॉक 20.05.2015 को करते हुये आवेदक की अपील निरस्त किये जाने का विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है।उनके द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति हेतु जो आवेदन पत्र दिया गया था वह पत्नि की बीमारी की राशि की व्यवस्था हेतु प्रस्तुत किया था तथा विधिवत् निष्पादित इकरारनामा दिनॉक 09.08.2012 के तहत उचित प्रतिफल प्राप्त करते हुये अनुमति चाही थी	

निग 2557-दो/16 (सागर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

वादग्रस्त भूमि पटवारी प्रतिवेदन अनुसार लगभग 40–45 वर्ष पूर्व शासन से प्राप्त पट्टे की भूमि है एवं विक्रय उपरांत आवेदक भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आएगा जिसकी पुष्टि तहसीलदार बीना द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनॉक 04.10.1012 में की है। आवेदक के ऊपर कर्जा भी गया है। उक्त आधार पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि की अनुमति दिया जाना न्याय संगत बताते हुये निगरानी ग्राह्य किये जाने का अनुरोध किया है।

4– मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को के प्रतिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से प्राप्त भूमि है वर्तमान् में भूमि स्वामी हक में दर्ज है। कलेक्टर सागर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि की अनुमति देने से इन्कार किया है कि सागर में शासकीय अस्पताल एवं शासकीय मेडिकल कालेज स्थित है जहॉ पर शासन की ओर से ईलाज की निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध है जिसका लाभ आवेदक प्राप्त कर सकता है, एवं जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त सागर द्वारा अपने आदेश में की है। परंतु चूंकि आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथपत्र एवं इकरारनामा की प्रति प्रस्तुत की है, आवेदक भूमिहीन नहीं हो रहा है तथा ईलाज में उस पर कर्जा भी हो गया है वह शेष भूमि से अपना गुजर बसर कर सकता है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों के विचार उपरांत आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश दिनॉक 16.06.13 एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनॉक 20.5.16 निरस्त करते हुए आवेदक को ग्राम तजपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 145/2 रकवा 1.31 हे0 भूमि में से 0.40 हे0 भूमि के विक्रय की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि विक्रय–विलेख संपादित होने के दौरान शासन द्वारा प्रचलित गाईड लाइन के मान से विक्रेता को विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं–उपपंजीयक संतुष्टि उपरांत विक्रय विलेख संपादित करें।

सदस्य